



झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड

(CIN : U40108 JH 2013 SGC 001704)

कार्यालय उपमहाप्रबंधक (संचरण परिचालन/परियोजना), संचरण अंचल, देवघर
कैम्पस- 132/33 के0भी0 ग्रीड सब स्टेशन, डाबरग्राम, देवघर पिन नं0- 814112

ईमेल आई0 डी0-esetcddeoghar1@gmail.com

पत्रांक- 1119 / उमहाप्र0 (सं0), देवघर

दिनांक- 23/11/2023

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (संचरण परियोजना),
संचरण अंचल, देवघर

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल,
गिरिडीह, झारखण्ड।

विषय:- गिरिडीह जिला के अंतर्गत 132 के0भी0 डबल-सर्किट जमुआ-गाँवा संचरण लाईन के निर्माण में पड़ने/
अपयोजन होने वाले जंगल झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में।

प्रसंग :- आपका कार्यालय पत्रांक- 98 दिनांक- 19.01.2021.

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0भी0 डबल-सर्किट जमुआ-गाँवा संचरण लाईन का निर्माण में पड़ने/अपयोजन होने वाले जंगल झाड़ी भूमि (Deemed Forest) का अनापत्ति प्रमाण पत्र हजारीबाग आयुक्त कार्यालय से प्राप्त हो चुका को इस पत्र के साथ संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित की जा रही है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है अग्रतर कार्रवाई की जाय ताकि जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

अनु0- तथैव।

विश्वासभाजत

उप महाप्रबंधक (संचरण परियोजना),
संचरण अंचल, देवघर



आयुक्त कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।

(जिला राजस्व शाखा)

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञाप्रांक 1817/रा0, दिनांक 30.4.2015 के आलोक में 132 KV/DC जमुआ-गांवां ट्रांसमिशन लाईन में उपयोग होने वाले देवरी, तिसरी एवं जमुआ अंचल के अन्तर्गत हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है :-

क्र.	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (हे० में)
1	देवरी	फतुही	204	30	05	1.603
2		बैरिया	201	155	3093	0.134
3		गिघासिमर	199	14	59	0.329
4	तिसरी	कुसमाटांड	124	02	07	0.059
5		खिजुरी	132	25	197	0.578
6		बलिआरी	135	03	466	0.183
7		तिसरी	105	01	777	0.442
8					695	0.556
9					725	0.446
10					812	0.905
11		गुमगी	166	17	922	1.138
12					919	0.693
13					912	0.328
14					710	0.523
15					691	0.478
16					लचकन	167
17					207	0.340
18	जमुआ	कुरुमडीहा	419	11	208	0.295
19		गिधिया	421	64	601	0.360
20		भुपतडीह	437	40	400	0.120
21					454	1.400
22		बलबला	367	56	13	0.710
23		सखईबाद	365	32	1432	0.213
24		सहरजाम	278	15	01	1.006
कुल :-						13.175

कुल रकबा 13.175 हे० (32.555425 ए०) में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि, संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed forest) भूमि से बाहर है के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम

Chingh
10/11/23
Senior Manager



SAVE SAL TREE



SAVE JHARKHAND



कार्यालय, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

मोहनपुर, पोस्ट-पचम्बा, जिला-गिरिडीह, पीन कोड-815316

email-dfo-giridih@gov.in, Phone No.-06532-222127

पत्रांक- १४

दिनांक:- 19/01/2021

सेवा में,

Sri S.K Barnawal,
Dy. G.M. Trans Operation/Project
Deoghar Circle, Jharkhand.

विषय - गिरिडीह जिला अन्तर्गत 132 के०भी० डी०/सी० जमुआ-गावां ट्रांसमिशन लाईन निर्माण में प्रभावित होने वाले वनभूमि अपयोजन से संबंधित प्रस्ताव के संबंध में।

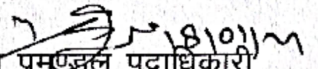
प्रसंग - आपका पत्रांक-385/DGM(T), Deoghar दिनांक 06.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में सूचित करना है कि विषयक परियोजना से संबंधित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाले जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में उपायुक्त गिरिडीह द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। फलतः अग्रतर कार्रवाई लंबित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रमाण पत्र अविलंब ऑन-लाईन समर्पित करते हुए 10 (दस) प्रतियों में हार्ड कॉपी अविलंब इस कार्यालय में समर्पित की जाय। ताकि प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकें।

आपका विश्वासी,


वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल।

19/1/21